झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1063 वर्ष 2017

सबरून निशा, पत्नी–दिवंगत छोटू खान, डाकघर और थाना–तमार, जिला–रांची

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य अपने मुख्य सचिव के माध्यम से जिनका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना–धुर्वा, जिला–रांची में है

2. मुख्य सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार जिनका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना–धुर्वा, जिला–रांची में है

3. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, जिनका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना–धुर्वा, जिला–रांची में है

4. सचिव, कला और संस्कृति, खेल और युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार जिनका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना–धुर्वा, जिला–रांची में है

5. निदेशक, प्राथमिक, माध्यमिक और जन शिक्षा, झारखण्ड सरकार जिनका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना–धुर्वा, जिला–रांची में है

6. जिला शिक्षा अधिकारी, गुमला, डाकघर और थाना–गुमला, जिला–गुमला

7. अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, गुमला, डाकघर और थाना–गुमला, जिला–गुमला

8. महालेखाकार, झारखण्ड, डाकघर और थाना–डोरण्डा, जिला–रांची

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री नंद किशोर प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिएः– श्री अजित कुमार, एस0सी0 (एल एंड सी) के जे0सी0

उत्तरदाता–महालेखाकार के लिएः–श्री अमित कुमार वर्मा, अधिवक्ता

05/04.10.2017 रिट याचिका में दिनांक 14.11.2014 के आदेश को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार कर दिया गया है। एक अन्य प्रार्थना उनके पति छोटू खान को 15.02.2001 से 07.12.2004 तक अर्जित वेतन के भुगतान के लिए है।

2. याचिकाकर्ता के पति को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, रांची के तहत दिनांक 18.08. 1980 के पत्र के माध्यम से अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। उन्हें दिनांक 30.03. 1993 के आदेश द्वारा गुमला स्थानांतरित किया गया था, और उसके बाद उन्हें दिनांक 22.04. 1999 के आदेश द्वारा लोहरदगा स्थानांतरित किया गया जहां वह ययोगदान किया एवं दिनांक 07.12.2004 तक कार्य करना जारी रखा। ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 24.07.2007 के एक आदेश द्वारा सोलह अपर क्लर्क–सह–लेखा अधिकारी तथा एक जीप चालक को सेवा में आमेलन कर लिया गया था। याची का दावा 24.07.2007 दिनांकित अवशोषण के इस पत्र पर आधारित है।

3. याची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 24.07.2007 के पत्र के आलोक में याची के पति को सेवा में आमेलित माना जाएगा और उसकी मृत्यु के बाद याची अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का हकदार है इस में कोई विवाद नहीं है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की यह योजना सरकार की नियमित सेवा में कार्यरत कर्मचारी के आश्रितों

को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। माना जाता है कि जिस तारीख को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत 17 कर्मचारियों को आमेलित किया गया था तब याचिकाकर्ता का पति सेवा में नहीं था और, वास्तव में, वह पहले ही मर चुका था। उपरोक्त तथ्यों में, याचिकाकर्ता की अनुकंपा से नियुक्ति का दावा दिनांक 14.11.2014 के आदेश द्वारा उचित ही खारिज किया गया है।

4. जहां तक अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान का संबंध है, दिनांक 24.07.2007 के पत्र के मद्देनजर यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता का पति राज्य सरकार के अधीन नियमित सेवा में नहीं था और इस प्रकार वह सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान का हकदार नहीं था। क्या प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत कर्मचारी पेंशन के हकदार हैं और क्या उक्त कार्यक्रम के तहत सेवा की अवधि को पेंशन के भुगतान के लिए गणना अवधि के रूप में गिना जा सकता है या नहीं, इसका फैसला इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा भोलानाथ हंसदा उर्फ भोला हंसदा बनाम झारखंड राज्य और अन्य द्वारा तय किया गया है जो 2017 (3) जेसीआर 795 (जेएचआर) (एफबी) में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें यह माना गया है कि नियमित सेवा में आमेलित होने के बाद भी पिछली सेवा को पेंशन के लिए गणना नहीं की जा सकती है।

5. इस प्रकार, मुझे याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए अन्य दावों में भी कोई योग्यता नहीं मिलती है। जहां तक 15.02.2001 से 07.12.2004 की अवधि के लिए वेतन के भुगतान का संबंध है, याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर कोई निर्विवाद दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह स्थापित करे कि याचिकाकर्ता के पति 06.12.2004 तक काम करते रहे और अपने कर्तव्य का निर्वहन करना जारी रखा। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता ऐसा

कोई निर्विवाद दस्तावेज प्रस्तुत करती है जो यह इंगित करता है कि उसका पति 06.12.2004 तक काम करता रहा, यदि उसे वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे भुगतान किया जाएगा। याचिकाकर्ता आवश्यक दस्तावेजों, यदि कोई हो, के साथ आठ सप्ताह के भीतर संबंधित प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है।

6. रिट याचिका खारिज की जाती है।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)